न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 33/2020

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
01. मूलसिंह पुत्र सुमेरसिंह 02. गणपतसिंह पुत्र सुमेरसिंह 03. भगवानसिंह पुत्र सुमेरसिंह 04. हेमकंवर पुत्री सुमेरसिंह 05. सम्पतकंवर पुत्री सुमेरसिंह 06. सन्तोष कंवर पुत्री सुमेरसिंह 07. सुनिता कंवर पत्नि नरपतसिंह 08. दिपेन्द्रसिंह पुत्र नरपतसिंह 09. हर्षवर्धनसिंह पुत्र नरपतसिंह 10. शिवानी कंवर पुत्री नरपतसिंह 11. गोपालसिंह पुत्र अनाड़सिंह 12. मीठु कंवर पुत्री मालमसिंह 13. कल्याणसिंह पुत्र मोहनसिंह 14. खुशालसिंह पुत्र मोहनसिंह 15. अर्जुनसिंह पुत्र मोहनसिंह 16. भैरूसिंह पुत्र मोहनसिंह 17. खेतसिंह पुत्र मोहनसिंह 18. अन्तरकंवर पत्नि मोहनसिंह सभी जातियान राजपूत, निवासीगण ग्राम सर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।		01. हरीसिंह पुत्र लालाराम, जाति पुरोहित, निवासी ग्राम सर, हाल निवासी कृष्णखेड़ा सातलाना, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 02. पाबुराम पुत्र लाबुरामजी, जाति पटेल, निवासी ग्राम सरेरा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 03. तहसीलदार लूणी । 04. भारतीय स्टेट बैंक शाखा लूणी ।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थितिः—

01. प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री भागीरथ विश्नोई उपस्थित ।
02. अप्रार्थी संख्या एक की और से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा उपस्थित ।

आदेश

दिनांक :- 2/9/2020

पत्रावली आज पेश हुई । प्रार्थीगण के कथनानुसार संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि वाके ग्राम सर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 206 रकबा 29 बीघा आयी हुई स्थिता हैं इस कारण प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला बनता हैं तथा प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त चला आ रहा हैं उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थीगण संख्या 11, 13, 15 व 16 का रहवास हैं तथा मौके पर रहवासीय ढ़ाणी बनी हुई हैं तथा पानी व बिजली का कनेक्शन भी प्रार्थीगण का लिया हुआ हैं इस कारण से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण

Scanned by CamScanner

के पक्ष में बनता हैं । अप्रार्थी संख्या एक प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में कटाणी रास्ते को तोड़कर जबरदस्ती कब्जा व काश्त में दखल अन्दाजी कर रहें हैं तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर अप्रार्थी संख्या एक हरीसिंह कब्जा करने पर उतारू हैं । इस कारण इरिपेक्षल लोस भी प्रार्थीगण के पक्ष में सुदृढ बनता हैं । अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनो सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में सुदृढ बनते हैं । अप्रार्थी संख्या एक हरिसिंह ने कटाणी रास्तो को अवरूद्ध कर अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि पर जबरदस्ती मुटाम लगाने पर आमादा हैं । प्रार्थीगण को आए दिन अप्रार्थी संख्या एक हैरान व परेशान कर रहा हैं इस कारण मजबूर होकर प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या एक के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश कर रहा हैं एवं अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें तथा ताफैसला दावा अप्रार्थी संख्या एक हरीसिंह के विरूद्ध इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी न तो स्वयं करें और न ही किसी अन्य व्यक्ति से करावें तथा न ही कटाणी रास्ते को अवरूद्ध कर मुटाम रोपने का प्रयास करें ।

प्रकरण में अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये जिस पर अप्रार्थी संख्या एक ने अपनी तरफ से जवाब प्रस्तुत किया एवं अपने जवाब में प्रार्थी के कथनों का खण्डन किया गया एवं यह भी लिखा हैं कि न तो अप्रार्थी ने प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार का अतिक्रमण किया हैं एवं न ही किसी प्रकार का अतिक्रमण करने की चेष्टा रखता हैं एवं न ही किसी प्रकार से कटाणी रास्ते को अवरूद्ध किया हैं एवं न ही भविष्य में कटाणी रास्ते को अवरूद्ध किया जावेंगा । प्रार्थीगण ने केवल मात्र अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से व उनकी खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 453 की सीमाओं को पशुओं से सुरक्षा हेतु अपनी खेती को नुकसान नहीं होवें इस आशय से अपनी खेत की सीमाओं के भीतर रक्षा कवच स्थापित किया जा रहा हैं जिसे भी प्रार्थी इस अस्थायी स्थगन की आड़ में नहीं होने दे रहें हैं एवं अपने जवाब में अप्रार्थीगण ने इस प्रकार की अण्डरटेकिंग भी ली हैं कि कटाणी रास्ता बेरोकटोक चल रहा हैं एवं भविष्य में भी चालू रहेगा तथा प्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा संख्या 206 में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया जावेंगा एवं न ही अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया हैं तथा अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें तथा आदेश दिया जावें कि खसरा संख्या 453 की राजस्व नक्शें अनुसार सीमाऐं हैं उन सीमाओं की रक्षा हेतु सुरक्षा कवच बनाने में प्रार्थीगण किसी प्रकार की कोई दखल अंदाजी नहीं करें तथा अप्रार्थी संख्या एक इस आशय की अण्डरटेकिंग भी लेता हैं कि उसके द्वारा न तो कटाणी रास्ता अवरूद्ध किया जावेंगा एवं न ही प्रार्थी के खसरा संख्या 206 में किसी प्रकार का कोई कब्जा करेगा ।

प्रकरण में बहस सुनी गयी । अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की मांग की एवं इसी प्रकार से अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने जवाब अनुसार प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया ।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया । चूंकी ग्राम सर, तहसील लूणी के खसरा संख्या 206 रकबा 29 बीघा प्रार्थीगण की खातेदारी का खसरा हैं एवं ग्राम निम्बलासर में स्थित खसरा संख्या 453 अप्रार्थीगण संख्या एक व दो की खातेदारी का रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा हैं । इन दोनो खसरों के मध्य राजस्व नक्शें अनुसार कटाणी रास्ता विद्यमान हैं । चूंकी रास्ते के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का वाद विवाद होने पर केवल मात्र सिविल न्यायालय को सुनने का अधिकार हैं तथा राजस्व न्यायालय को केवल मात्र खातेदारी की कृषि भूमियों का ही श्रवणाधिकार हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का जो खसरा संख्या 206 हैं उस पर अप्रार्थी ने अण्डरटेकिंग

Scanned by CamScanner

ली हैं कि वह किसी प्रकार से उक्त खसरें की भूमि पर अतिक्रमण नही किया हैं एवं न ही भविष्य में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण करने की चेष्टा रखता हैं तथा साथ ही अपने जवाब में काउण्टर मांग की हैं कि प्रार्थीगण भी अप्रार्थी के खसरा संख्या 453 की सीमाओं के सुरक्षा हेतु सुरक्षा कवच बनाने में अप्रार्थीगण को रोके नहीं व न ही उनके खसरें के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई दखल अंदाजी करें । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में उभयपक्षों को पाबन्द किया जाना आवश्यक हैं ।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता हैं कि ग्राम सर तहसील लूणी के खसरा संख्या 206 रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा कृषि भूमि को प्रार्थीगण स्वतन्त्र रूप से उपयोग एवं उपभोग करें तथा ग्राम निम्बलासर तहसील लूणी के खसरा संख्या 453 रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा का अप्रार्थीगण संख्या एक व दो स्वतन्त्र रूप से उपयोग एवं उपभोग करें तथा अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 453 की सीमाओं की सुरक्षा हेतु जो सुरक्षा कवच अप्रार्थीगण द्वारा स्थापित किये जावें उसमें प्रार्थीगण किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें । उभयपक्ष अपने अपने खसरान की खातेदारी की कृषि भूमियों को स्वतन्त्र रूप से उपयोग एवं उपभोग करें।

(गोपाल परिहार)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

निर्णय आज दिनांक 2/09/2020 को बसरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

(गोपाल परिहार)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner